न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 12 / 2018 / जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 57 / 2014 निर्णय दिनांक 19.03.2015 एवं प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सपठित धारा 151 सीपीसी मय आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी।

अपीलांट

1. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम जाति भील निवास मंगलाराम भील की ढाणी ग्राम काहला जिला जैसलमेर।
2. मुरलीराम पुत्र अर्जुनराम जाति भील निवासी मंगलाराम भील की ढाणी ग्राम काहला जिला जैसलमेर।
3. दलपतराम पुत्र टेहलाराम जाति भील निवासी मंगलाराम भील की ढाणी ग्राम काहला जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.जगदीश जोशी पुत्र स्व0 वल्लभदास जोशी उम्र 32 साल
2.आनन्द जोशी पुत्र स्व0 वल्लभदास जोशी उम्र 30 साल
3.श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 वल्लभदास जोशी उम्र 32 साल
4.फतेहचन्द जोशी पुत्र स्व0 किशनलाल जोशी उम्र 65 साल
5.गोपालदास जोशी पुत्र स्व0 किशनलाल जोशी उम्र 70 साल
6.श्रीमती नखती देवी पत्नी स्व0 गोविन्दलाल जोशी उम्र 72 साल
7.लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 गोविन्दलाल जोशी उम्र 50 साल
8.मुकेश कुमार पुत्र स्व0 गोविन्दलाल जोशी उम्र 40 साल
जातियान ब्राहमण निवासीगण काहला तहसील व जिला जैसलमेर
9.तहसीलदार, जैसलमेर।
10.जिला कलक्टर, जैसलमेर।

उपस्थित

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जितेन्द्र स्वामी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 15.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि फाईनल सैटलमेंट की पैमाईश हुई तो अमीनों ने रेस्पोडेंट / वादीगण के पूर्वज किशनलाल पुत्र प्रतापचन्द के नाम ग्राम काहला के नियमित खसरा संख्या 13 में रकबा 123.10 बीघा में वर्तमान खसरा संख्या 245 में रकबा 40.15 बीघा, खसरा संख्या 65 में 24.11 बीघा, कुल रकबा 65.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

06 बीघा खातेदारी में दर्ज की व 58.04 बीघा भूमि कम दर्ज की जो खसरा संख्या 264 में रकबा 15.02 बीघा व खसरा संख्या 265 में रकबा 43.02 बीघा कुल रकबा 58.04 बीघा पर लगातार कब्जा काश्त है और रेस्पोडेंट/वादीगण के रहवासी ढाणी, कुआ, मंदिर, पुराना धोरा, पशुओं का बाडा स्थित है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण ने पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में जब दावा पेश किया गया तब उन्हें यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि ग्राम काहला के हाल खसरा संख्या 264 व 265 पर रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और न अभी भी है यह भूमि अपीलांटस ओमप्रकाश, मुरलीराम व दलपतराम के कब्जा काश्त में है जिन्होंने सरकारी भूमि पर जंगली अनावश्यक झाड़ियां आदि काट कर इस जमीन को उपजाऊ बनाया। समरी खसरा संख्या 13 के तुलनात्मक खसरा संख्या 264 व 265 थे या नहीं और इस भूमि पर उनका कब्जा काश्त कौनसे साल रहा या लगातर था इस बात का कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए भी मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण व उसके गवाहन के मौखिक व झूठे कथनों पर विश्वास कर उनका कोई कब्जा काश्त मौके पर न होते हुए तथा उनका कोई मौके पर ठांव जैसे ढाणी, टांका, बाड, मंदिर रेस्पोडेंट/वादीगण का न होते हुए भी उन्होने जानबूझकर अपीलांट की भूमि को हड़पने के लिये व अपीलांट का कब्जा काश्त हटवाने के लिये उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैसलमेर की और से पटवारी काहला के बयान करवाये गये जिसने अपने बयानों में बताया है कि मौजा काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा गैरमुमकिन मगरा खनिज संभावित क्षेत्र है खसरा संख्या 265 रकबा 99.15 बीघा किस्म गैरमुमकिन मगरा खरिज संभावित क्षेत्र राजकीय भूमि दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण केवल मात्र जिला कलक्टर व तहसलदार जैसलमेर को पक्षकार बनाया जाकर छिपे तरीके से दावा प्रस्तुत किया और जानबूझकर अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया उन्होने समस्त कार्यवाही एकतरफा करवाई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस के साथ-साथ मौखिक बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण ने सरकारी भूमि को हड़पने की नीयत से दावा कर राजकीय भूमि पर खातेदारी प्राप्त की है। विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का काब्जा काश्त है एवं मौके पर अपीलांटगण की रहवासी ढाणी, कुआ, मंदिर, पुराना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

धोरा, पशुओं का बाडा आदि बनाये हुए है। प्रतिवादी तहसीलदार जैसलमेर की और से पटवारी काहला के बयान करवाये गये जिसने अपने बयानों में बताया है कि मौजा काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा गैरमुमकिन मगरा खनिज संभावित क्षेत्र है खसरा संख्या 265 रकबा 99.15 बीघा किस्म गैरमुमकिन मगरा खरिज संभावित क्षेत्र राजकीय भूमि दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण केवल मात्र जिला कलक्टर व तहसलदार जैसलमेर को पक्षकार बनाया जाकर छिपे तरीके से दावा प्रस्तुत किया और जानबूझकर अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया उन्होने समस्त कार्यवाही एकतरफा करवाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10 की ओर से अपनी बहस में बताया कि जैसलमेर जिले में समरी सैटलमेंट अन्दाजिया था भू–प्रबन्ध विभाग ने जब नाप–जोख की तब जो व्यक्ति जितने रकबे पर काबिज था उसकी खातेदारी जारी कर दी गई और शेष भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में भी जितने रकबे पर रेस्पोडेंट के पूर्वज काबिज थे उतनी यानी कि खसरा संख्या 13 में रकबा 123.10 बीघा में वर्तमान खसरा संख्या 245 में रकबा 40.15 बीघा, खसरा संख्या 65 में 24.11 बीघा, कुल रकबा 65.06 बीघा खातेदारी में दर्ज की व 58.04 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। इतना रकबा सिवायचक इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि अपीलांट/वादी का मौके पर निरंतर कब्जा काश्त नहीं था बाद के वर्षों में कभी कभार व अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था और अतिक्रमी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के प्रकरण संख्या 57/2014 बनअवान जगदीश जोशी वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध नियमानुसार अपील पेश करने की कार्यवाही की जाऐगी। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट (वादीगण) की ग्राम काहला तहसील जैसलमेर में भूमि समरी खसरा संख्या 13 में रकबा 123.10 बीघा में वर्तमान खसरा संख्या 245 में रकबा 40.15 बीघा, खसरा संख्या 65 में 24.11 बीघा, कुल रकबा 65.06 बीघा खातेदारी में दर्ज की व शेष 58.04 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कोई तब्दीली, कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने आगे बताया कि अपीलांटगण ने सहायक कलक्टर जैसलमेर के निर्णय दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 4 साल बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट ने अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही होने का अपीलांटस को अपील प्रस्तुति के दिन तक पता नहीं रहा। निर्णय होने के बाद जब रेस्पोडेंटस गलत निर्णय के आधार पर म्यूटेशन भरवाने के लिये पटवारी काहला के पास गये तब दिनांक 11.10.2018 को जानकारी होने पर निर्णय की नकले लेने के लिये आवेदन पेश किया जो दिनांक 12.10.2018 को मिली तब उन्हे प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के द्वारा अपील करीब 4 वर्ष से अधिक देरी से पेश की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन का वर्णन देकर उचित कारण बताना होता है। अपीलांटस ने अपील पेश करने में हुए विलंब का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा वाद में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गया। इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावे।

अधवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इस प्रकरण में अपीलांट का कोई हक हिस्सा नहीं होने से पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जावे।

अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए धारा 96 के आवेदन के साथ आदेश 01 नियम 10 के तहत भी आवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन निर्णय के अधीन ग्राम काहला तहसील जैसलमेर का खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 265 रकबा 43.02 बीघा पर अपीलांटगण का प्रथम बार संवत 2064 से अतिक्रमण के कारण कब्जा काश्त हुआ है जो बाद में भी रहा है। इसी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। इस दृष्टि से अपीलांटगण प्रभावित होने से आवश्यक पक्षकार ठहरते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपीलांटगण ने अपने अपील मीमों में यह स्पष्ट उल्लिखित किया है कि मनोजकुमार खत्री पटवारी काहला ने बयानों में बताया कि मौजा काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा गैरमुमकिन मगरा खनिज संभावित क्षेत्र है खसरा संख्या 265 रकबा 99.15 बीघा किस्म गैरमुमकिन मगरा खरिज संभावित क्षेत्र राजकीय भूमि दर्ज है। इसलिए अपीलांटगण कोय यह भी भलीभांति जानकारी है कि उक्त विवादित खसरा संख्या 264 व 265 गैरमुमकिन मगरा की भूमि खनिज संभावित क्षेत्र के तहत होने से इस पर उन्हें खातेदारी नहीं मिल सकती। अपीलांटगण के अपील मीमों में उल्लिखित कथनों से स्पष्ट है कि वे प्रथम बार संवत 2064 से अतिक्रमी की हैसियत से ग्राम काहला के खसरा संख्या 264 व 265 में क्रमशः अधिकतम 06 बीघा व 10 बीघा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर विगत 10 वर्ष से अपीलांटगण काबिज काश्त रहे है। इस प्रतिकूल कब्जे को आधार बनाकर अपीलांटगण सरकारी भूमि हड़पने की नीयत और सोच से खातेदारी प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे है जो कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा इन तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के मूल वाद संख्या 57/2014 बनवान जगदीश वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 को यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10 की ओर से इस निर्णय के संबंध में आवश्यक समझी जाने पर सक्षम स्तर पर चाराजोही की स्वंतत्रता है।

15/3/19

(मखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner